भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3257

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

पर्यावरण संबंधी उपायों पर व्यय

3257. श्री संजय सिंहः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत पर्यावरणीय उपायों और अस्तित्व नियंत्रण (ईएमएससी) पर किया गया व्यय शून्य है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल एवं कोयला मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) तथा (ख) : ईसीएल और बीसीसीएल के पट्टाधारी क्षेत्रों में झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में आग, धंसाव, पुनर्वास तथा सतही अवसंरचना के विपथन से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2009 में मास्टर प्लान में सभी ईएमएससी योजनाओं को मिलाने की मंजूरी प्रदान की गई थी।

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड को अपने आंतरिक संसाधनों से 350 करोड़ रू. प्रति वर्ष का अंशदान करना था और 350 करोड़ रू. से अधिक व्यय को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से प्रदान किया जाना था।

झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की राज्य एजेंसियों द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण, मास्टर प्लान के लिए व्यय 350 करोड़ रू. से अधिक नहीं हुआ है तथा 2015-16 में यह 312.93 करोड़ रू., 2016-17 में 271.23 करोड़ रू. और 2017-18 में (01.01.2018 तक) 287.32 करोड़ रू. था जिसका वित्त-पोषण सीआईएल ने किया था। इसलिए पिछले 3 वर्षों के लिए ईएमएससी योजनाओं से संबद्ध केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किया गया व्यय शून्य है।